ग्राम पंचायत मस्सल, विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 **प्रस्तावना {क}:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मस्सल , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2014 से 31-3-2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सीमा पठानिया	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री मनोज कुमार	23-1-16 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति लता देवी	05-03-14 से 21-04-16
2.	श्री वीन सिंह	22-04-16 से 26-12-16
3.	श्री राज बहादुर थापा	27-12-16 से 15-06-17

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {₹लाखों में }
1.	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.59
2.	6	प्राप्त अनुदान राशि से अधिक खर्च करना	0.03
3.	6.1	अनुदानों का अवरोधन।	26.79
4.	8	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	8.54

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत मस्सल , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-01-2018 से 17-01-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय मस्सल में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/15 ,08/15 व 09/16 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02/15, 04/15 व 02/17 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत मस्सल , विकास खण्ड नगरोटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा

परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:29 दिनांक 17-01-18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मस्सल से अनुरोध किया गया।

4 **वितीय स्थिति**:- ग्राम पंचायत मस्सल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1}स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत मस्सल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	363269	78573	441842	71264	370578
2015-16	370578	42394	412972	221859	191113
2016-17	191113	96434	287547	118432	169115

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत मस्सल के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	528264	4842558	5370822	4108959	1261863
2015-16	1261863	6037982	7299845	4801346	2498499
2016-17	2498499	4210039	6708538	4029613	2678925

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB nagrota bagwan	20012007935	575091
2.	HDFC nagrota bagwan	50100028257561	312853
3.	HDFC nagrota bagwan	50100175201748	1847943
4.	KCCB nagrota bagwan	50055966524	7419
5.	KCCB nagrota bagwan	50055966692	49437
6.	KCCB nagrota bagwan	50055966240	369
7.	KCCB nagrota bagwan	50055967084	54361
		CASH IN HAND	567
		TOATAL	₹2848040

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख) ₹ 2848040

(ख) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 2848040

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत मस्सल की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही का बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹0.59 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत राजस्व की ₹59175 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए ।

गृहकर :-

वर्ष	**आ. शेष**	**मांग**	**योग**	**प्रप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014-15	0	19425	**19425**	0	**19425**
2015-16	19425	19750	**39175**	0	**39175**
2016-17	39175	20000	**59175**	0	**59175**

6 प्राप्त अनुदान राशि से ₹0.03 लाख का अधिक व्यय:-

पंचायत सचिव मस्सल द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान SDP शीर्ष के अन्तर्गत **₹3012** इस सन्दर्भ में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई था उक्त अनुदान

के प्राप्त राशि से **₹3012** अधिक व्यय किए गए जोकि एक अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशि को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

6. 1 अनुदान ₹ 26.79 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹2678925** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 निर्माण सामग्री की खरीद में आमंत्रित निविदाओं को pool करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 व 2015-16 में रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की खरीद हेतु निम्न फर्मों से निविदाएँ आमंत्रित की गई थी

(2014-15)

(1)मै० आर.के इंटरप्राइजेज नगरोटा बगवां-01892-252475,94180-11675,98160-51475

(2)मै० एस.के. इंटरप्राइजेज नगरोटा बगवां :- 01892-252475,94180-11675,98160-51475

(3)मै० हरि कृष्ण कांट्रेक्टर नगरोटा बगवां:- 01892-253284,98165-28999

(2015-16)

1)मै० आर.के इंटरप्राइजेज नगरोटा बगवां :- 01892-252475,94180-11675,98160-51475

(2)मै० एस.के. इंटरप्राइजेज नगरोटा बगवां :- 01892-252475,94180-11675,98160-51475

(3)मै० विनोद कुमार नगरोटा बगवां :- शून्य

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वर्षो में की गई रेत,बजरी,पत्थर की खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया था जिसके कारण उक्त खरीदों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि उपरोक्त फर्मों से की गई खरीद में किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। यदि अधिक भुगतान किया गया पाया गया तो इसकी वसूली सम्बंधित से की जाए।

8 निर्माण सामग्री क्रय ₹ 8 .54 लाख की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** पर दिए गए विवरणानुसार क्रय की गई **₹854254** की निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ नहीं की गई । जो कि एक गम्भीर मामला है। जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा नियमानुसार क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किय जाए।

9 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा नियमानुसार इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख का नाम**

1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही
8	वर्गीकृत सार रजिस्टर

10 पंचायत निधि को कोपरेटिव बैंक के स्थान पर अन्य बैंक में जमा करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि पंचायत निधि से ₹2160796 को HDFC बैंक नगरोटा के बचत खातों में निवेशित किया गया है। जबकि विशेष सचिव(वित्त)के पत्र संख्या :फिन-आईएफ(ए)1-68/83-II दिनांक 27-12-14 के अनुसार केवल कोपरेटिव बैंक में ही जमा किया जाना अपेक्षित था अतः अब पंचायत निधि को सरकारी निर्देशानुसार कोपरेटिव बैंक में ही जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह् बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

13 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

14 **निष्कर्ष** :-लेखों के रख-रखाब में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)181/2018 खण्ड–1–3332–3335 दिनांक 14.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मस्सल़, विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881